कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश।

सॅख्या: 8फ/अनु0का0/2016–17/ लखनऊः दिनॉकः 3/8/16 2016

:: कार्यालय–ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी , सॅयुक्त निदेशक (भण्डार) थे कि बैठक दिनॉक 29–06–2016 जिसमें मेसर्स एलूरी फारमुलेशन प्रा0 लि0 (Yeluri Formulations Pvt. Ltd) को तीन कमागत (consecutive) कय आदेशों के 50 प्रतिशत तक की आपूर्ति में असफल रहने के आधार पर समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार दर अनुबन्ध के प्रस्तर 32 तथा निविदा विज्ञप्ति 8फ/आर0सी0–671/3071 दिनॉक 15–10–2014 के प्रस्तर 13(8) तथा उसमें सॅदर्भित एनेक्जर.10 के प्रस्तर 14(बी0) के अन्तर्गत मेसर्स एलूरी फारमुलेशन प्रा0 लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए आगामी एक वर्ष के लिये समस्त निविदा प्रकिया में भाग लेने से प्रतिबन्धित किया जाता है।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

पत्रॉक–8फ/अनु0का0/2016–17/1900(1to8)/तद्दिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्त, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6– निदेशक, केन्द्रीय औषधि भण्डार, स्वास्थ्य भवन।
7– वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8– संबंधित फर्म।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या : 8फ / अनु0का0 / 2016–17 / 4902   लखनऊ : दिनांक 09 सितम्बर, 2016

:: कार्यालय ज्ञाप ::

निदेशक (भण्डार) की अध्यक्षता में गठित अनुशासन समिति जिसके अन्य सदस्य निदेशक (स्वास्थ्य), निदेशक (चिकित्सा उपचार), वरिष्ठ विधि अधिकारी, संयुक्त निदेशक (भण्डार) थे, की बैठक दिनांक 01.09.2016 जिसमें मेसर्स आर्नेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म द्वारा निविदा संख्या–753 में शपथ–पत्र में गलत सूचना देने के कारण तथा आपूर्ति की गयी औषधि पैरासिटामाल के 04 (चार) बैचेज अधोमानक पाये जाने के आधार पर अनुशासन समिति द्वारा निविदा की धारा संख्या–10 बी व 10 सी एवं धारा–11बी व 11सी के आधार पर तीन वर्षों के लिए एवं निविदा संख्या–753 में शपथ–पत्र पर मिथ्या कथन के कारण दिनांक 14.06.2012 की क्रय नीति के प्रस्तर–3 (4) के आधार पर 05 वर्षों के लिए मेसर्स आर्नेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्ट करने का निर्णय लिया गया, के आधार पर मेसर्स आर्नेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को तत्कालिक प्रभाव से काली सूची में डालते हुये समस्त निविदा प्रक्रियाओं से प्रतिबन्धित किया जाता है। प्रतिबन्ध की दोनो अवधि साथ–साथ प्रभावी होंगी।

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संख्या : 8फ / अनु0का0 / 2016–17 / 4303-10 तद्दिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वित्त) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (केन्द्रीय औषधि भण्डार) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
8. सम्बन्धित फर्म।